न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–110/2019 (2019/00245) दर्ज दिनांक 10.10.2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

संशोधित टाईटल

अनवान

1. रूपा आत्मज किशना (दादा भज्जा जी) गाडरी
2. धन्ना आत्मज किशना गाडरी
   सर्व निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. माधु आत्मज भुवाना गाडरी
2. गुमान आत्मज प्रताप पूर्बिया गाडरी निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक जरिये कायम मुकाम :–
   2/1 श्रीमती घीसी देवी पत्नि गुमाना पूर्बिया
   2/2 किशन लाल पिता गुमाना पूर्बिया
   सर्व निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांकः–09.10.20020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का सुरावास तहसील सहाडा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आ[illegible] संख्या 867 रकबा 0.06 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 135 पर स्थित हैं। [illegible] के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 [illegible] प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:42 IST
Reason: SelfAttested

...ड अधिकारी
...पुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 02 की तलबी रिपोर्ट अनुसार फौत हो जाने से प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कायम मु0 का प्रार्थना –पत्र आदेश –22 नियम –4 जा0दी0 का मय सम्मन के पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर सम्मन जारी किये गये। का0मु0 विपक्षी संख्या 2/1, 2/2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का सुरावास तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 867 रकबा 0.06 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 135 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं।

उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पावंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner